



प्रेस विज्ञप्ति

08.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष चंद्रनाथ सिन्हा (एमएलए और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और कपड़ा और सुधारात्मक प्रशासन, पश्चिम बंगाल) के खिलाफ 06.08.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत छठी पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है।

ईडी ने कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर सीबीआई एसीबी, कोलकाता द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि पैसे के बदले कई अयोग्य और निम्नतर रैंक धारक उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक की नौकरियां दी गई थीं। इससे पहले 22.03.2024 को चंद्रनाथ सिन्हा के आवासीय परिसर में तलाशी ली गई थी, जिसके कारण 41 लाख रुपये की नकदी और अन्य अपराध-संकेती रिकॉर्ड जब्त किए गए थे। जांच में चंद्रनाथ सिन्हा के बैंक खातों में बड़ी नकदी जमा होने का पता चला।

इससे पहले, ईडी ने पार्थचटर्जी, विधायक और पूर्व प्रभारी मंत्री, शिक्षा, पश्चिम बंगाल की करीबी सहयोगी श्रीमती अर्पिता मुखर्जी के परिसर में की गई तलाशी के दौरान इस मामले में 49.80 करोड़ रुपये और 5.08 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण बरामद और जब्त किए। ईडी ने अब तक 7 व्यक्तियों अर्थात् पार्थ चटर्जी, विधायक और पश्चिम बंगाल की तत्कालीन शिक्षा मंत्री; सुश्री अर्पिता मुखर्जी, माणिक भट्टाचार्य, एमएलए, टीएमसी और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कुंतल घोष, शांतनु बनर्जी, अयान सिल और सुजय कृष्ण भद्रा को इस मामले में गिरफ्तार किया है।

इसके अलावा, ईडी ने विभिन्न आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ मामले में दिनांक 19.09.2022 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद 5 पूरक शिकायतें दिनांक 07.12.2022, 21.03.2023, 08.05.2023, 28.07.2023 और 30.11.2024 हैं। मामले में आरोप तय किए गए हैं और विद्वान विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण (ट्रायल) चल रहा है। इस मामले में कुल कुर्की और जबती 151.26 करोड़ रुपये है। एसएससी सहायक शिक्षक भर्ती और समूह 'सी' और 'डी' स्टाफ भर्ती घोटाले के संबंधित मामलों में ईडी ने 486 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क की है। भर्ती घोटाले के मामलों में ईडी कोलकाता द्वारा कुल कुर्की 637 करोड़ रुपये (लगभग) है।

आगे की जांच चल रही है |